रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 6 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 15, 1944 शक संवत्) [संख्या 32

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	727–737	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	565–604	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	413–416	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 103/दो-4-2022—सचिव, उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 47/01/ई-3/2018-19, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2018 के आधार पर चयनित/संस्तुत अभ्यर्थी श्री चन्दन सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह, अनुक्रमांक 053827 को वेतनमान रु0 27,700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—प्रश्नगत नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

3—उपरोक्त अभ्यर्थी श्री चन्दन सिंह की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-3

शुद्धि-पत्र

18 मई, 2022 ई0

सं0 424/दो-3-2022-19/3(7)/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति की तिथि 27 जून, 2000 के आधार पर दिनांक 27 जून, 2002 से स्थायीकरण किया गया है तथा शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

2—श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की वास्तविक तिथि 04 जनवरी, 2001 है।

3—अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विवचारोपरान्त उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कोटिक्रम सूची 2015 के क्रमांक-399 पर अंकित श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की तिथि 27 जून, 2000 के स्थान पर 04 जनवरी, 2001, स्थायीकरण की तिथि 27 जून, 2002 के स्थान पर 04 जनवरी, 2003 एवं समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि 27 जून, 2005 के स्थान पर 04 जनवरी, 2006 अंकित किया जाता है।

4—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 एवं शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

सं0 424(1)/दो-3-2022-19/3(7)/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा श्री रमेश चन्द्र को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति की तिथि 27 जून, 2000 के आधार पर दिनांक 27 जून, 2002 से स्थायीकरण किया गया है तथा शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

2—श्री रमेश चन्द्र की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की वास्तविक तिथि 04 जनवरी, 2001 है।

3—अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विवचारोपरान्त उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कोटिक्रम सूची 2015 के क्रमांक-402 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की तिथि 27 जून, 2000 के स्थान पर 04 जनवरी, 2001, स्थायीकरण की तिथि 27 जून, 2002 के स्थान पर 04 जनवरी, 2003 एवं समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि 27 जून, 2005 के स्थान पर 04 जनवरी, 2006 अंकित किया जाता है।

4—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 एवं शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कार्यालय-ज्ञाप

18 मई, 2022 ई0

सं0 424(2)/दो-3-2022-19/3(7)/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति की तिथि 27 जून, 2000 के आधार पर दिनांक 27 जून, 2002 से स्थायीकरण किया गया है तथा शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

2—श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की वास्तविक तिथि 04 जनवरी, 2001 है।

3—अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विवचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 424/दो-3-2022, दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कोटिक्रम सूची 2015 के क्रमांक-399 पर अंकित श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की तिथि 27 जून, 2000 के स्थान पर 04 जनवरी, 2001, स्थायीकरण की तिथि 27 जून, 2002 के स्थान पर 04 जनवरी, 2003 एवं समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि 27 जून, 2005 के स्थान पर 04 जनवरी, 2006 अंकित करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 एवं शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

4—उक्त संशोधन के अनुक्रम में श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से 04 जनवरी, 2006 के मध्य समयमान वेतनमान का जो भी लाभ/भुगतान प्राप्त किया गया है, उसे तत्काल राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 424(3)/दो-3-2022-19/3(7)/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 द्वारा श्री रमेश चन्द्र को उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति की तिथि 27 जून, 2000 के आधार पर दिनांक 27 जून, 2002 से स्थायीकरण किया गया है तथा शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

2—श्री रमेश चन्द्र की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की वास्तविक तिथि 04 जनवरी, 2001 है।

3—अतः उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विवचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 424/दो-3-2022, दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) कोटिक्रम सूची 2015 के क्रमांक-399 पर अंकित श्री रमेश चन्द्र की उ0प्र0 सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में योगदान की तिथि 27 जून, 2000 के स्थान पर 04 जनवरी, 2001, स्थायीकरण की तिथि 27 जून, 2002 के स्थान पर 04 जनवरी, 2003 एवं समयमान वेतनमान अनुमन्यता की तिथि 27 जून, 2005 के स्थान पर 04 जनवरी, 2006 अंकित करते हुये कार्यालय ज्ञाप संख्या 675(2)/दो-3-2007-19/3(1)/2001, दिनांक 11 अप्रैल, 2007 एवं शासन के आदेश संख्या 1569(2)/दो-3-2007-19/3(68)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

4—उक्त संशोधन के अनुक्रम में श्री रमेश चन्द्र, अपर आयुक्त (प्र0) विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर द्वारा दिनांक 27 जून, 2005 से 04 जनवरी, 2006 के मध्य समयमान वेतनमान का जो भी लाभ/भुगतान प्राप्त किया गया है, उसे तत्काल राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
मदन सिंह गर्ब्याल,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

29 जून, 2022 ई0

सं0 766/दो-1-2022-19/1(4)/2010—उत्तर प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 जून, 2022 को अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होंगे—

1—श्री राजेन्द्र प्रसाद, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0 2006), अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (प्रशासन), सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2—सुश्री भावना श्रीवास्तव, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0 2008), सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3—श्री फैसल आफताब, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0 2010), अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर।

4—श्री रविशंकर गुप्ता, आई0ए0एस0 (एस0सी0एस0 2012), विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

नियुक्ति

31 मार्च, 2022 ई0

सं0 501/वि0स0/अधि0/130/74—माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निजी स्टाफ में जन सम्पर्क अधिकारी (निःसंवर्गीय) राजपत्रित वर्ग श्रेणी-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 में श्री आशीष कुमार शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा को दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के पूर्वान्ह से एतद्द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री आशीष कुमार शर्मा की सेवायें माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0 की स्वेच्छा पर होगी तथा उनके कार्यकाल तक सीमित रहेंगी।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवानिवृत्ति

24 जून, 2022 ई0

सं0 1500(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—श्री राकेश कुमार पाण्डेय, उप सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

30 जून, 2022 ई0

सं0 1583(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 2225/वि0प0-267/84, दिनांक 08 जुलाई, 2021 के क्रम में श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष सचिव, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 जून, 2022 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो गये।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-1

नियुक्ति

15 जून, 2022 ई0

सं0 832/6-पु-1-22-1300(18)/92टीसी—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के नियम 14 के अन्तर्गत अवधारित सहायक रेडियो अधिकारी के विद्यमान रिक्त 02 पदों (अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित) को साक्षात्कार के उपरान्त सहायक रेडियो अधिकारी पद पर संस्तुत/चयनित अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत् है, को उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 के नियम 18(1) के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा में सहायक रेडियो अधिकारी के साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,57,700) में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0 सं0	रजि0 नं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	श्रेणी	जन्म-तिथि
1	2	3	4	5
1	53600169689	राहुल कुमार पुत्र श्री सर्वेश कुमार	एस0 सी0	05-01-1997
2	53600006628	शिव शंकर पुत्र श्री सत्य नारायण	एस0 सी0	12-08-1995

2–इन पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत एवं उ0प्र0 पुलिस रेडियो शाखा में अनुमन्य वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3–इन अधिकारियों की नियुक्तियां प्रथमतः अस्थायी होंगी। 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर इनके स्थायीकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

4–नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिये पुलिस रेडियो संगठन व पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

5–उपर्युक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/विभाग से प्राप्त कार्य एवं आचरण रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति/अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6–नियुक्त अभ्यर्थियों से नियमानुसार संगत प्रारूप पर इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा, समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा, दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र आदि दो प्रतियों में प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन विभाग

[अधिष्ठान]

अनुभाग-1

कार्यालय-आदेश

30 जून, 2022 ई0

सं0 20-1099/121/2021-1–तात्कालिक प्रभाव से श्री राजेश लाल श्रीवास्तव, उप सचिव (लेखा), संसदीय कार्य विभाग को एतद्द्वारा स्थानान्तरित/स्वतः कार्य मुक्त करते हुये उप सचिव (लेखा), राजनैतिक पेंशन एवं होमगार्ड्स विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2–श्री राजेश लाल श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में बिना प्रतिस्थानी का इंतजार किये तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

3–आदेश प्राप्ति के 02 कार्यदिवस में यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो माह जुलाई से वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
रचना गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

10 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 6057/23-4-2021-06 वास्तु/2014–लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद के पद पर उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, वास्तुविद सेवा नियमावली 1992 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती की रिक्तियों

के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 776/02/डी0आर0/एस-6/2020-21, दिनांक 16 अगस्त, 2021 प्राप्त संस्तुति के संदर्भ में श्री अमर त्रिपाठी पुत्र श्री संजय कुमार त्रिपाठी (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600009148) को सहायक वास्तुविद के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में मैट्रिक लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) उक्त सहायक वास्तुविद की सेवा शर्तें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों तथा उ0प्र0 सरकार के अन्य प्रसांगिक नियमों/शासनादेशों/विनियमों से नियंत्रित एवं नियमित होगी।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक वास्तुविद के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

(4) संबंधित अभ्यर्थी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वःघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(5) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और एतद्द्वारा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) वे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपने पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उल्लिखित अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता क्रम में नहीं है और इन अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(9) सहायक वास्तुविद की सेवायें किसी भी समय 02 माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि सहायक वास्तुविद स्वयं सेवामुक्त होना चाहता है, तो उन्हें नियुक्त प्राधिकारी को 01 माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। 01 माह के नोटिस के बदले में विभाग 01 माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन देकर भी सहायक वास्तुविद की सेवा से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सहायक वास्तुविद भी नोटिस के बदले में 01 माह का वेतन नोटिस से कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा मुक्त हो सकते हैं।

सं0 6058/23-4-2021-06 वास्तु/2014—लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद के पद पर उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 776/02/डी0आर0/एस-6/2020-21, दिनांक 16 अगस्त, 2021 प्राप्त संस्तुति के संदर्भ में श्रीमती स्वप्निल सोनकर पुत्री स्व0 मुकेश सोनकर (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600290795) को सहायक वास्तुविद के पद पर वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में मैट्रिक लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) उक्त सहायक वास्तुविद की सेवा शर्तें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों तथा उ0प्र0 सरकार के अन्य प्रसांगिक नियमों/शासनादेशों/विनियमों से नियंत्रित एवं नियमित होगी।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक वास्तुविद के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने या न होने की घोषणा।

[ग] निजी स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] अपने निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

(4) संबंधित अभ्यर्थी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वःघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(5) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और एतद्द्वारा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) वे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपने पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उल्लिखित अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता क्रम में नहीं है और इन अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(9) सहायक वास्तुविद की सेवायें किसी भी समय 02 माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि सहायक वास्तुविद स्वयं सेवामुक्त होना चाहता है, तो उन्हें नियुक्त प्राधिकारी को 01 माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। 01 माह के नोटिस के बदले में विभाग 01 माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन देकर भी सहायक वास्तुविद की सेवा से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सहायक वास्तुविद भी नोटिस के बदले में 01 माह का वेतन नोटिस से कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा मुक्त हो सकते हैं।

सं0 6059/23-4-21-06 वास्तु/2014—लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक वास्तुविद के पद पर उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 776/02/डी0आर0/एस-6/2020-21, दिनांक 16 अगस्त, 2021 प्राप्त संस्तुति के संदर्भ में श्री शाश्वत कपूर

पुत्र श्री आलोक कपूर (रजिस्ट्रेशन संख्या 53600435255) को सहायक वास्तुविद के पद पर वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान में मैट्रिक लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) उक्त सहायक वास्तुविद की सेवा शर्तें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों तथा उ0प्र0 सरकार के अन्य प्रसांगिक नियमों/शासनादेशों/विनियमों से नियंत्रित एवं नियमित होगी।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक वास्तुविद के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने या न होने की घोषणा।

[ग] निजी स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] अपने निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

(4) संबंधित अभ्यर्थी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वःघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

(5) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि वे विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और एतद्द्वारा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) वे अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपने पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(8) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उल्लिखित अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता क्रम में नहीं है और इन अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(9) सहायक वास्तुविद की सेवायें किसी भी समय 02 माह की लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। यदि सहायक वास्तुविद स्वयं सेवामुक्त होना चाहता है, तो उन्हें नियुक्त प्राधिकारी को 01 माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। 01 माह के नोटिस के बदले में विभाग 01 माह का वेतन देकर अथवा नोटिस समयावधि में कमी के समतुल्य वेतन देकर भी सहायक वास्तुविद की सेवा से मुक्त कर सकता है। इसी प्रकार सहायक वास्तुविद भी नोटिस के बदले में 01 माह का वेतन नोटिस से कम समयावधि के तुल्य वेतन देकर सेवा मुक्त हो सकते हैं।

आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनु सचिव।

अनुभाग-3

संशोधन

16 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 84/2021/3684/23-3-2021-47 ई0एस0/06टी0सी0—कार्यालय ज्ञाप संख्या 37/2020/ 1127/23-3-2020-47 ई0एस0/2006टी0सी0-I, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये "सहायक अभियन्ता (सिविल) के अधिकारियों के अधिष्ठान से सम्बन्धित समस्त कार्य" को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को आवंटित किया जाता है।

2—कार्यालय ज्ञाप संख्या 37/2020/ 1127/23-3-2020-47 ई0एस0/2006टी0सी0-I, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
समीर वर्मा,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—19 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 15, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

16 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 19/आठ-भू0अ0/सं0सं0/झांसी–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला, जिला ललितपुर (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बबीना नहर परियोजना के निर्माण हेतु जनपद झाँसी, तहसील झाँसी, ग्राम (ग्राम-रसीना, बघौरा, पुरा, प्रथ्वीपुर नयाखेडा व सैकर में कुल 8.752 हे0 भूमि आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश इस प्रकार हैः–''बवीना नहर के निर्माण हेतु अर्जित किये जा रहे शेष रकवे की भूमि (ग्राम–रसीना, बघौरा, पुरा, प्रथ्वीपुर नया खेडा व सैकर परगना व तहसील झाँसी, जिला झाँसी) रकवा 8.752 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। बबीना नहर परियोजना का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बवीना नहर परियोजना के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार व सामाजिक समाघात स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढ़ेगी''।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना है, इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः– भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर x को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता हैः—(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है)।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
झाँसी	झाँसी	झाँसी	बघौरा	673	0.025
				675	0.215
				673-मि0	0.425
				673-मि0	0.300
				675-मि0	0.215
				711	0.035
				675-मि0	0.215
				767/2	0.400
				771	0.130
				818/2	0.400
				819/2	0.066
				820	0.253
				821	0.036
				823/20	0.150
				823/15	0.309
				823	0.200
				योग. .	**3.374**
			रसीना	844/2	0.257
				850	0.050
				865	0.200
				867	0.316

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
झाँसी	झाँसी	झाँसी	रसीना	884	0.073
				892	0.177
				893	0.018
				915/1	0.037
				योग. .	**1.128**
			सैंकर	517-क	0.243
				519-क	0.121
				354	0.100
				366	1.214
				445	0.200
				योग. .	**1.878**
			पुरा	126	0.506
				121	0.100
				योग. .	**0.606**
			पृथ्वीपुर नयाखेडा	483/3	0.376
				475-मि0	0.366
				25	0.437
				50/2	0.096
				1040	0.225
				925	0.266
				योग. .	**1.766**
				कुल योग. .	**8.752**

6—अधिनियम की धारा 12 के अर्न्तगत बबीना नहर परियोजना एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिये समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाये करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा 11 (4)के अर्न्तगत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या ऐसी भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, झाँसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिला कलेक्टर, झांसी।

NOTIFICATION

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

April 16, 2022

No. 19/VIII-L.A./S.S./Jhansi–In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no…….Date…….

Under Sub section (1) of Section 11 the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh /Collector (For the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 10.119 hectares of land in required in the Village- Baghaura, Rasina, Saikar, Pura, Prathvipur Nayakheda Tehsil-Jhansi District-Jhansi is required for public purpose, namely, project-Babina Canal Project Though Executive Enginieer, Sichai Nirmaan Khand , Matatila , Lalitpur (name Of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the Sate Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 24/12/2018.

3. The summary of the Social Impact Assessment report as Follows: - "The remaining land being acquired for the construction of the Babina Canal Project (Village-Baghaura, Rasina, Saikar, Pura, Prathvipur Nayakheda pargana /tehsil/District Jhansi) are 10.119 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. BABINA CANAL PROJECT is being consturucted for public purpose and with the construction of the canal farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase"

4. Total zero family is likely to be displaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are : - No family is being displaced due to the land acquisition.

Deputy Collector/Assistant Collector X is appointed as an Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families- (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint an Administrator).

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Bghaura	673	0.025
				675	0.215
				673-मि0	0.425
				673-मि0	0.300
				675 मि0	0.215
				711	0.035

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Bghaura	675-मि0	0.215
				767/2	0.400
				771	0.130
				818/2	0.400
				819/2	0.066
				820	0.253
				821	0.036
				823/20	0.150
				823/15	0.309
				823	0.200
				Total. .	3.374
,,	,,	,,	Rasina	844/2	0.257
				850	0.050
				865	0.200
				867	0.316
				884	0.073
				892	0.177
				893	0.018
				915/1	0.037
				Total. .	1.128
			Saikar	517-क	0.243
				519-क	0.121
				354	0.100
				366	1.214
				445	0.200
				Total. .	1.878
			Pura	126	0.506
				121	0.100
				Total. .	0.606
			Prathvipur Nayakheda	483/3	0.376
				475-मि0	0.366
				25	0.437

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Prathvipur Nayakheda	50/2	0.096
				1040	0.225
				925	0.266
				Tatal. .	1.766
				GRAND TOTAL. .	**8.752**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survery of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the act any person interested in the land may within 60(days) after the publication of this notification make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the collector.

8. Uner section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale / purchase , specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceeding of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE :A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Jhansi for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
District Collector, Jhansi.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

27 जुलाई, 2022 ई0

सं0 206/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/वाराणसी–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 रूट पर प्रस्तावित सम्पार संख्या 70 सी0 की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना नरवन, ग्राम बिरैली में स्थित 0.9866 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1815/दिनांक 23-04-2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 14 मई, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना नरवन, ग्राम बिरैली की उक्त अनुसूची में वर्णित 0.9866 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	नरवन	बिरैली	2	0.0095
				38	0.0690
				41	0.1455
				43	0.0081
				49	0.0240
				50	0.0220
				51	0.0320
				52	0.1152
				77	0.0720
				78	0.0072
				80-मि	0.0860
				92	0.0544
				93	0.1319
				94/1	0.0106
				94/2	0.0746
				95	0.0455
				96	0.0373
				97/1	0.0218
				98	0.0100
				99	0.0100
				योग . .	**0.9866**

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, चन्दौली।

NOTIFICATION

July 27, 2022

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

No. 206/VIII-S.L.A.O. (सं0सं0)/Varanasi—Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 0.9866 hectares of land located in District-Chandauli, Tehsil Chandauli, Pargana-Narvan, Village-Biraili for public purpose required by Executive Engineer, Provincial Division, Public work Department, Chandauli such as establishment of Sampar no. 70C under dedicated freight corridor, District Chandauli. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013, which was issued on the initial notification number 1815/dated 23-04-2022 and published in local news paper on the date 14-05-2022, SDM, Sadar Chandauli is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of the section 15 of the Act, under section 19 (1), the Hon'ble Governor directs to declare that he is satisfied that schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 0.9866 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District-Chandauli, Tehsil-Chandauli, Pargana-Narvan, Village-Biraili.

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Narvan	Biraili	2	0.0095
				38	0.0690
				41	0.1455
				43	0.0081
				49	0.0240
				50	0.0220
				51	0.0320
				52	0.1152
				77	0.0720
				78	0.0072
				80-मि	0.0860
				92	0.0544
				93	0.1319
				94/1	0.0106
				94/2	0.0746
				95	0.0455

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Narvan	Biraili	96	0.0373
				97/1	0.0218
				98	0.0100
				99	0.0100
				GRAND TOTAL. .	**0.9866**

NOTE–A site plan is inspected in the Office of Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

27 जुलाई, 2022 ई0

सं0 207/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/वाराणसी–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 रूट पर प्रस्तावित सम्पार संख्या 74 सी0 की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम जगदीशपुर, भगवानपुर एवं रमऊपुर में स्थित 1.1684 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1816/दिनांक 23-04-2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 14 मई, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम जगदीशपुर, भगवानपुर एवं रमऊपुर की उक्त अनुसूची में वर्णित 1.1684 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	जगदीशपुर	32-मि	0.0744
				53	0.0121
				54-मि	0.0438
				56-मि	0.0140

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	जगदीशपुर	61	0.0080
				62	0.0120
				63-मि	0.0220
				64	0.0320
				65-मि	0.1800
				66	0.1200
				68	0.2800
				70	0.0880
				71	0.0740
				योग. .	**0.9603**
			भगवानपुर	183	0.0228
				184	0.0296
				185	0.0254
				योग. .	**0.0778**
			रमऊपुर	3	0.1303
				योग . .	**1.1684**

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, चन्दौली।

No. 207/VIII-S.L.A.O.(सं0सं0)/Varanasi—Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 1.1684 hectares of land located in District Chandauli, Tehsil-Chandauli, Pargana-Majhwar, Village-Jagdishpur, Bhagwanpur, Ramaupur for public purpose required by Executive Engineer, Provincial Division, Public Work Department, Chandauli such as establishment of Sampar no. 74C under dedicated freight corridor, District Chandauli. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013, which was issued on the initial notification number 1816/dated 23-04-2022 and published in local news paper on the date 14-05-2022, SDM, Sadar Chandauli is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of the section 15 of the Act, under section 19 (1), the Hon'ble Governor directs to declare that he is satisfied that schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 1.1684 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District-Chandauli, Tehsil-Chandauli, Pargana-Majhwar, Village-Jagdishpur, Bhagwanpur, Ramaupur.

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Jagdispur	32-M	0.0744
				53	0.0121
				54-M	0.0438
				56-M	0.0140
				61	0.0080
				62	0.0120
				63-M	0.0220
				64	0.0320
				65-M	0.1800
				66	0.1200
				68	0.2800
				70	0.0880
				71	0.0740
				Total. .	**0.9603**
			Bhagwanpur	183	0.0228
				184	0.0296
				185	0.0254
				Total. .	**0.0778**
			Ramaupur	3	0.1303
				GRAND TOTAL. .	**1.1684**

NOTE–A site plan is inspected in the Office of Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

27 जुलाई, 2022 ई0

सं0 208/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/वाराणसी–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 रूट पर प्रस्तावित सम्पार संख्या 75 सी0 की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम लीलापुर दरपीपुर व सीरसी में स्थित 2.0820 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1817/दिनांक 23-04-2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 14 मई, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम लीलापुर, दरपीपुर व सीरसी की उक्त अनुसूची में वर्णित 2.0820 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	लीलापुर	1	0.006
				6	0.052
				7	0.064
				8	0.095
				9	0.068
				12	0.016
				16	0.063
				27	0.020
				29	0.072
				32	0.088
				38	0.116
				39	0.125
				61	0.009

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	लीलापुर	62	0.019
				63	0.163
				65	0.031
				66	0.051
				73	0.020
				79	0.009
				योग . .	**1.0870**
			दरपीपुर	52-मि	0.290
				53	0.057
				54	0.060
				55	0.142
				56	0.089
				57	0.088
				68-मि	0.151
				योग . .	**0.8770**
			सीरसी	348	0.082
				487	0.036
				योग. .	**0.1180**
				कुल योग. .	**2.0820**

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, चन्दौली।

No. 208/VIII-S.L.A.O.(सं0सं0)/Varanasi—Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 2.0820 hectares of land located in District-Chandauli, Tehsil-Chandauli, Pargana-Majhwar, Village-Lilapur, Darpipur, Sirsi for public purpose required by Executive Engineer, Provincial Division, Public work Department, Chandauli such as establishment of Sampar no. 75C under Dedicated freight corridor, District-Chandauli. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013, which was issued on the initial notification number 1817/dated 23-04-2022 and published in local news paper on the date 14-05-2022, SDM, Sadar Chandauli is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of the section 15 of the Act, under section 19 (1), the Hon'ble Governor directs to declare that he is satisfied that schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 2.0820 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District-Chandauli, Tehsil-Chandauli, Pargana-Majhwar, Village-Lilapur, Darpipur, Sirsi.

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Lilapur	1	0.006
				6	0.052
				7	0.064
				8	0.095
				9	0.068
				12	0.016
				16	0.063
				27	0.020
				29	0.072
				32	0.088
				38	0.116
				39	0.125
				61	0.009
				62	0.019
				63	0.163
				65	0.031
				66	0.051
				73	0.020
				79	0.009
				Total. .	**1.0870**
			Darpipur	52-मि	0.290
				53	0.057
				54	0.060
				55	0.142
				56	0.089
				57	0.088
				68-मि	0.151
				Total. .	**0.8770**
			Sirsi	348	0.082
				487	0.036
				Total. .	**0.1180**
				Grand Total. .	**2.0820**

NOTE–A site plan is inspected in the Office of Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

कार्यालय, जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

24 जून, 2022 ई0

सं0 6072(I)/आठ-वि0भू0अ0अ0 सि0नगर/अधि0सू0/2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम रोहुआ में रकबा 0.7896591 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है—

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	रोहुआ	114	0.0112694
2					118	0.037
3					122	0.5238492
4					124	0.2077197
5					126	0.0098208
					योग . .	**0.7896591**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिूसचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6072(i)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7896591 hectare of land is required in the Village-Rohuaa, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Whereas farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amount received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Rohuaa	114	0.0112694
2	,,	,,	,,	,,	118	0.037
3	,,	,,	,,	,,	122	0.5238492

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
4	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Rohuaa	124	0.2077197
5	,,	,,	,,	,,	126	0.0098208
					Total . .	**0.7896591**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6073(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम जमोहना में रकबा 0.7441044 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहना	39	0.0486722
2					41	0.0268709
3					42	0.1126301
4					43	0.0533068
5					44	0.045808
6					47	0.004
7					48	0.1008417
8					50	0.0470963
9					49	0.3048784
					योग . .	**0.7441044**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION
June 24, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6073(i)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7441044 hectare of land is required in the Village-Jamohna, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and

Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc.* The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity etc. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohna	39	0.0486722
2					41	0.0268709
3					42	0.1126301
4					43	0.0533068
5					44	0.045808
6					47	0.004
7					48	0.1008417
8					50	0.0470963
9					49	0.3048784
					Total . .	**0.7441044**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6074(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम डोडवार शुक्ल में रकबा 2.2570381 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—**सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है** :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है।

परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	डोडवार शुक्ल	285	0.114269
2					294	0.1501546
3					288	0.0794056
4					158	0.2313263
5					292	0.0566832
6					110	0.009938
7					114	0.062
8					107	0.2233669
9					109	0.6099949
10					118	0.001
11					290	0.3057977
12					293	0.1425544
13					111	0.2196164
14					115	0.0509311
					योग . .	**2.2570381**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6074(i)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 2.2570381 hectare of land is required in the Village-Dodwar Shukla, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amount received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, etc. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Dodwar Shukla	285	0.114269
2					294	0.1501546
3					288	0.0794056
4					158	0.2313263
5					292	0.0566832
6					110	0.009938
7					114	0.062
8					107	0.2233669
9					109	0.6099949
10					118	0.001

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
11	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Dodwar Shukla	290	0.3057977
12					293	0.1425544
13					111	0.2196164
14					115	0.0509311
					Total . .	**2.2570381**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

24 जून, 2022 ई0

सं0 6075(i)/आठ-वि0भू0अ0अ0-सि0नगर/अधि0सू0/2022-23–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उप मुख्य अभियन्ता, कन्सट्रक्शन/जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन बहराइच खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बॉसी पूरब, ग्राम बनकटा में रकबा 5.3691683 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार (कलेक्टर, सिद्धार्थनगर) को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गई है। जिसे कलेक्टर, सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है :

सेन्टर फॉर इण्डियन बाम्बू रिसोर्स एण्ड टेक्नालॉजी (सीबार्ट) वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों का अभिज्ञान कर इन प्रभावों को कम से कम करने का सुझाव देने के आशय से सामाजिक समाघात अध्ययन/प्रबन्धन आख्या तैयार किया गया है। अध्ययन पद्धति में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों से साक्षात्कार के आधार पर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभावित ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों यथा ग्राम पंचायत तहसील स्तर से आकड़े प्राप्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के

निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न हितधारकों से भी विचार विमर्श कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन पूर्ण किया गया है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम में प्रभावित कृषकों द्वारा मुख्य समस्याओं कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण आजीविका के श्रोत में ह्रास, कृषिगत मजदूरी में कमी, चारागाह/खलिहान में कमी, प्रदूषण में वृद्धि बताई गई, वहीं अधिकतर कृषकों द्वारा नई रेल लाईन के निर्माण से आवागमन में सुविधा माल ढुलाई में सुविधा तथा रेलवे स्टेशन के निर्माण से व्यापार एवं रोजगार के सृजन होने की बात कही गई है।

इस परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना स्वाभाविक है किन्तु प्रभावित कृषकों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुसार प्रतिकर मिलने की स्थिति में प्राप्त धनराशि से अवशेष जोत का उन्नयन, रेल निर्माण से आवागमन, यातायात में सुगमता, कृषि उत्पाद हेतु विस्तृत बाजार तक पहुंच, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने के चयन की सुविधा, वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, बेहतर आवास के निर्माण, परिवहन के साधनों का विकास होना सम्भावी है, आदि से किसान लाभान्वित होंगे जिससे कृषि जोत में आई कमी को पूर्ण किया जा सकता है। परियोजना ग्राम के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश भाग को प्रभावित नहीं कर रही है। इस परियोजना से कोई मुख्य आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में नई रेल लाइन के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जैसे परिवहन, होटल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सड़क, विद्युत आदि की सुविधायें प्राप्त होंगी। यह भी निश्चित रूप से संभावित है कि नई रेल लाइन परियोजना के संचालन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

अतः इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि के सापेक्ष प्रश्नगत अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

अस्तु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच, खलीलाबाद बी0जी0 नई लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति गई है।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बनकटा	11	0.5182904
2					65	0.4878519
3					61	0.363492
4					60	0.0733404
5					39	1.0192475
6					38	0.0009325

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
7	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बनकटा	409	0.2599737
8					415	0.0632885
9					417	0.0985949
10					419	0.0575283
11					343	0.0403502
12					333	0.065228
13					332	0.3742215
14					319	0.316
15					317	0.4067094
16					487	0.3287153
17					489	0.5965666
18					490	0.2502223
19					494	0.0486149
					योग . .	**5.3691683**

6—अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7—अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

June 24, 2022

[Under sub-section (1) of section 11 of the act] preliminary notification

No. 6075(i)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23--Under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 5.3691683 hectare of land is required in the Village-Bankata, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Bansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose namely project Bahraich-Khalilabad New B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur.

2--Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assesment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government (Collector Siddharthnagar) which has approved its recommendation on dated March 30, 2022.

3--The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows :-

Center for Indian Bamboo Resource and Technology, Vasundhara Ghaziabad has been done social impact assessment study with the intention of identifying the impacts on the social economic and cultural status of the families affected by land acquisition and the impacts due to them and suggest ways to minimize these impacts, In the study method, an attempt has been made to find out the socio-economic and cultural status on the basis of interviews of families affected by land acqusition. Apart from this, data has been obtained in respect of the affected villages from different levels like Gram Panchayat, Tehsil level. Apart from this, also after consulting various stakeholders related to the construction of the project, the study of social impact assessment has been completed after obtaining the desired information.

In the Village affected by the project, the main problems faced by the affected farmers are the joy in the source of livelihood due to the reduction in the area of agricultural land, reduction in agricultural wages, reduction in pasture/barn, increase in pollution. Where as farmers belives that due to construction of rail line and station there will be convenience in traffic, convenience in goods transportation and has been said to generate business and employment.

As a result of this project, it is natural to reduce the cultivable area of the affected villages, but if the affected farmers get proper compensation according to rules of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, upgradation of the remaining holdings from the amout received, interested farmers will be benefited by rail construction, ease of transport, access to wide market for agricultural products, facility of selection to sell agricultural products at reasonable prices, *etc*. The project is not affecting the whole or most part of village. No core population is being affected by this project.

By the construction of new railway line in this area, people will get various types of employment, opportunities directly and indirectly, like transportation, hotel, accommodation, education, health, entertainment, road, electricity *etc*. facilities will be available. It is also definitely possible that as a result of the operation of the new rail line project, the people of the area will grow socially and economically.

Therefore, the potential benefit from this project is much higher than the social cost and adverse social impacts. The land proposed for the acquisition in question is very less relative to the total land required for the project.

However multi-disciplinary expert group unanimoulsy recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad BG new rail line project.

4--No families are likely to be displaced due to land acquisition.

5--Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bankata	11	0.5182904
2					65	0.4878519
3					61	0.363492
4					60	0.0733404
5					39	1.0192475
6					38	0.0009325

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
7					409	0.2599737
8					415	0.0632885
9					417	0.0985949
10					419	0.0575283
11					343	0.0403502
12					333	0.065228
13					332	0.3742215
14					319	0.316
15					317	0.4067094
16					487	0.3287153
17					489	0.5965666
18					490	0.2502223
19					494	0.0486149
					Total . .	**5.3691683**

6--The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7--Under section-15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8--Under section-11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE : A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

27 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 5112/जी0-201/91(1)– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना कन्तित जनपद मीरजापुर के ग्राम चकबेलहा, तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5113/जी0-177/66/2019-20 उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भीटी परगना मिझौडा जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम टेमा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5135/जी0-153/61-15 –उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर जनपद बरेली के ग्राम गूगल नगरिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0–5136/जी0-152A/2019-20–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कादीपुर परगना अल्देमऊ जनपद सुलतानपुर के ग्राम पहाड़पुर भोरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

05 जनवरी, 2022 ई0

सं0-56/जी0-183/66-01–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गुन्नौर परगना असदपुर जनपद सम्भल के ग्राम खरमोरिया ड़ांड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-57/जी0-360/60-06(1)–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील अतरौली परगना गंगीरी जनपद अलीगढ़ के ग्राम अरनी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

06 जनवरी, 2022 ई0

सं0-132/जी0-181/66/2020-21–उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापार जनपद गोरखपुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	गोरखपुर	खजनी	1—बेल्दारीपुर तप्पा शाहपुर 2—राईपुर मुस्तकिल तप्पा बेलघाट 3—रसूलपुरबाबू तप्पा बेलघाट

07 जनवरी, 2022 ई0

सं0-144/जी0-172/66—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना आवला जनपद बरेली के ग्राम संग्रामपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-145/जी0-164ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कांठ जनपद मुरादाबाद के ग्राम दासपुर मांफी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-146/जी0-361/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना करियात दोस्त जनपद जौनपुर के ग्राम रामनगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-147/जी0-361/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना हवेली जनपद जौनपुर के ग्राम हमजापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 जनवरी, 2022 ई0

सं0-150/जी0-159/65-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1—कोटला नगला ऐहतमाली 2—दौलपुरी बमनियां ऐहतमाली

सं0-151/जी0-175/59-2019—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील पयागपुर परगना बहराइच जनपद बहराइच के ग्राम पिपरा पदारथ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

24 जनवरी, 2022 ई0

सं0-299/जी0-83/98—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना इकौना जनपद श्रावस्ती के ग्राम इटौंझा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-300/जी0-362/60—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फरेन्दा परगना हवेली जनपद महराजगंज के ग्राम करखी, तप्पा लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-301/जी0-166ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर नवसृजित तहसील मितौली परगना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम भनवापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-302/जी0-52(1)/2018-19—(आपत्ति) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना जनपद औरैया के ग्राम नगला बंधा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-303/जी0-157/70-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया परगना अमोढ़ा जनपद बस्ती के ग्राम देवापुर, तप्पा बेलवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-304/जी0-227/62—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील खलीलाबाद परगना मगहर पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम पियसिया, तप्पा उतरावल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-305/जी0-166/65(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर परगना श्रीनगर जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम देवरिया बसैहिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-306/जी0-155/69-86—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम माधोनगर, तप्पा थरौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-307/जी0-215/62—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील तिलहर परगना जलालपुर जनपद भाहजहांपुर के ग्राम भगौतीपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

14 फरवरी, 2022 ई0

सं0-510/जी0-178/60-15(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी परगना बांसी पूरब जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम धन्धापार, तप्पा असनार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-511/जी0-161/59-2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धनघटा परगना महुली पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम उमरिया, तप्पा कोचरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-512/जी0-78/2002—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मेहदावल परगना मगहर पूरब जनपद संतकबीर नगर के ग्राम धरमपुरपैता, तप्पा मेहदावल में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-513/जी0-163/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सदर परगना देहात अमानत जनपद वाराणसी के ग्राम रमना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-514/जी0-181/66/2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी परगना धुरियापार जनपद गोरखपुर के ग्राम गाईबेला, तप्पा भाहपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-515/जी0-166ए/65—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा परगना फिरोजाबाद जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम नन्दूरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-516/जी0-154ए/70—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील करनैलगंज परगना पहाड़पुर जनपद गोंण्ड़ा के ग्राम सुमेरपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-517/जी0-155/69-86—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सिकहुला, तप्पा थरौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

25 फरवरी, 2022 ई0

सं0-623/जी0-176ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील चकिया, परगना केरामगरौर, जनपद चंन्दौली के ग्राम मचवल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-624/जी0-158-ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार

उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील छिबरामऊ, परगना सकरावा़, जनपद कन्नौज के ग्राम देवपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-625 / जी0-166-ए / 2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील धौरहरा, परगना फिरोजाबाद़, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम खमरियाखुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-626 / जी0-183 / 2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील गुन्नौर, परगना असदपुर, जनपद सम्भल के ग्राम नगला अजमेरी सैलाब में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-627 / जी0-176-B / 66 / 2020-21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौगढ़, परगना केरामगरौर, जनपद चन्दौली के ग्राम जरहर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-628 / जी0-157 / 2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरैया, परगना अमोढ़ा, जनपद बस्ती के ग्राम देवखर, तप्पा बेलवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-629 / जी0-163 / 2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हरदोई परगना गोपामऊ जनपद हरदोई के ग्राम दौलतपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-630 / जी0-167 / 2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769 / सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23 / 1 / 1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के

दिनांक से तहसील व परगना नर्वल, जनपद कानपुर नगर के ग्राम मडिलवा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

03 मार्च, 2022 ई0

सं0-693/जी0-157/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के ग्राम मठियाचक, तप्पा हवेली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

14 मार्च, 2022 ई0

सं0-765/जी0-158-ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना छिबरामऊ जनपद कन्नौज के ग्राम रामखेड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 मार्च, 2022 ई0

सं0-815/जी0-164/59-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल जनपद कौसाम्बी के ग्राम मलाक, मुइनउद्दीन उपरहार में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-825/जी0-164/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चायल, जनपद कौसाम्बी के ग्राम गंगसरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

21 मार्च, 2022 ई0

सं0-844/जी0-157/2021-22(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली, जनपद देवरिया के ग्राम पहाड़पुर, तप्पा गौतमा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

28 मार्च 2022 ई0

सं0-943/जी0-167/2021-22(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना नर्वल, जनपद कानपुर नगर के ग्राम सेमरझाल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-944/जी0-166/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लखीमपुर, परगना पैला, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम तुसौरा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-945/जी0-61-बी/2021-22(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी जनपद सम्भल के ग्राम खेतापुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-946/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना जनपद औरैया के ग्राम बबुराहा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-947/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना जनपद औरैया के ग्राम नहराबोझ में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

30 मार्च, 2022 ई0

सं0-955/जी0-157/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील भाटपाररानी, परगना सलेमपुर मझौली जनपद देवरिया के ग्राम खोराबार, तप्पा सोहनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-956/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम नगला बैस में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-957/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम बरौना खुर्द में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-958/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम जयसिंहपुर कनक में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-959/जी0-226/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम जसवन्तपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-960/जी0-163ए/2002-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कोरांव, परगना खैरागढ़, जनपद प्रयागराज के ग्राम पथरताल में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

31 मार्च, 2022 ई0

सं0-1076/जी0-266ए/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सहजनवां, परगना हसनपुर मगहर, जनपद गोरखपुर के ग्राम दुलटही तप्पा भदेसरी में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1077/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना हसनपुर मगहर, जनपद गोरखपुर के ग्राम सुरैना, तप्पा खुजरी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1078/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना उनवल, जनपद गोरखपुर के ग्राम मलहीपुर, तप्पा बनकटा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1079/जी0-181/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील खजनी, परगना धुरियापार, जनपद गोरखपुर के ग्राम बेइली खुर्द मुस्तकिल, तप्पा बेलघाट में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1080/जी0-224/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मेरठ, जनपद मेरठ के ग्राम जटौला में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1083/जी0-212/2021-22—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना सफीपुर, जनपद उन्नाव के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1084/जी0-226/62-16—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना विधूना, जनपद औरैया के ग्राम भटौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0-1085/जी0-153/67-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, रणवीर प्रसाद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सलोन, परगना पर ादेपुर, जनपद रायबरेली के ग्राम सादीपुर कोटवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

रणवीर प्रसाद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—19 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 6 अगस्त, 2022 ई० (श्रावण 15, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 महाराजा रीयल्टर्स, ग्राम पाली डूंगरा, सौंख रोड, जिला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री स्वरूप सिंह, श्री रसाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, निवासीगण पाली डूंगरा सौंख रोड, मथुरा सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को संचालित की थी। उपरोक्त फर्म, फर्म निबन्धक, आगरा कार्यालय में ए जी-12530 दिनांक 27 मई, 2014 को पंजीकृत है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को श्री स्वरूप सिंह, श्री रसाल सिंह निवासीगण मथुरा, फर्म से पृथक हो गये हैं। अब दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को ही श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना निवासीगण मथुरा व श्री देवचरन नि0 मथुरा फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, श्री देवचरन, नि0 मथुरा सभी साझेदार के रूप में संचालित की गई।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, निवासीगण मथुरा व श्री देवचरन, नि0 मथुरा सभी साझेदार के रूप में संचालित की गयी।

दिनांक 30 अप्रैल, 2017 से महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड फर्म में साझेदार हो गयी हैं। अब फर्म को हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना निवासीगण मथुरा श्री देव चरन, नि0 मथुरा व महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड मथुरा सभी साझेदार के रूप में संचालित की गयी।

दिनांक 01 जनवरी, 2019 से श्री देवचरन नि0 मथुरा फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म को दिनांक 01/01/2019, 01/04/2019, 28/04/2019, 18/04/2020, 10/06/2020 से हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, निवासीगण मथुरा व महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड मथुरा, के रूप में संचालित की गयी।

दिनांक 19 जून, 2020 से फर्म में श्रीमती मंजू देवी साझेदार हो गई हैं। अब फर्म को दिनांक 19 जून, 2020 व 25 जून, 2020 से श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह,

श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, श्रीमती मंजू देवी निवासीगण मथुरा व महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड मथुरा हम सभी साझेदार के रूप में संचालित की गयी।

दिनांक 18 सितम्बर, 2020 से कु0 अर्चना, अनीता कुमारी, श्रीमती हरनन्दी, श्रीमती तनु सिंह, निवासीगण मथुरा फर्म में साझेदार हो गयी हैं। अब फर्म को हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, श्रीमती मंजू देवी, कु0 अर्चना, अनीता कुमारी, श्रीमती हरनन्दी श्रीमती तनु सिंह निवासीगण मथुरा व महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम मथुरा सभी साझेदार के रूप में संचालित की गयी।

दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 से श्री गौरव सिंह नि0 मथुरा, फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को दिनांक 14 अक्टूबर, 2020, 20/08/2021 व 20/09/2021, 27/07/2022 से हम श्री प्रीतम सिंह, श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विपिन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह कुन्तल, श्री महाराज सिंह, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती अंकिता सिंह, श्रीमती अर्चना, श्रीमती मंजू देवी, कु0 अर्चना, अनीता कुमारी, श्रीमती हरनन्दी, श्रीमती तनु सिंह, श्री गौरव सिंह, निवासीगण पाली डूंगरा सौंख रोड, मथुरा हॉल, निवासी–महाराजा हाऊस 106, 107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड मथुरा व महाराजा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड ग्राम पाली डूंगरा सौंख रोड, मथुरा सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

हरेन्द्र प्रताप सिंह,
साझेदार।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 जय लक्ष्मी स्टोन मिल कबरई में दिनांक 05-12-2021 तक 1-श्री अरिमर्दन सिंह 2-श्री अनिरूद्ध सिंह 3-श्रीमती शकुन्तला सिंह 4-श्रीमती कल्पना सिंह 5-श्रीमती अल्पना सिंह एवं 6-श्री अभिमन्यु सिंह कुल 06 पार्टनर थे उक्त पार्टनरों में से कुल 04 पार्टनर क्रमशः श्री अरिमर्दन सिंह, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती शकुन्तला सिंह एवं श्रीमती अल्पना सिंह 05-12-2021 से उक्त फर्म से अलग हो गयी हैं। अब उक्त फर्म में केवल 02 पार्टनर क्रमशः श्री अभिमन्यु सिंह एवं श्रीमती कल्पना सिंह ही फर्म का समस्त कारोबार देखेगें। यह सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाश की जा रही है।

अभिमन्यु सिंह,
नि0-नैकानापुरा महोबा,
तह0 व जिला महोबा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 आनन्द इंटरप्राइजेज, डी-7, भुवनेश्वर नगर कालोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी में राणा शैलेन्द्र कुमार सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, ममता सिंह व वीना सिंह पार्टनर थे। जिसमें वीना सिंह का देहान्त दिनांक 22-04-2021 को हो गया है। दिनांक 23-04-2021 को हिमांशु सिसोदिया और शुभेन्द्र कुमार सिंह को नया पार्टनर सम्मिलित किया गया। वर्तमान में राणा शैलेन्द्र कुमार सिंह, आनंद प्रकाश सिंह, ममता सिंह, हिमांशु सिसोदिया एवं शुभेन्द्र कुमार सिंह पांच पार्टनर हैं।

पार्टनर,
मे0 आनन्द इंटरप्राइजेज,
डी-7, भुवनेश्वर नगर कॉलोनी,
अर्दली बाजार, वाराणसी।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 सेंटरी सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेस के साझेदार श्री अरवाज खान को दिनांक 21 मई, 2022 से साझेदारों की आपसी सहमति से साझेदार फर्म से सेवामुक्त किया जाता है व उनकी उक्त दिनांक से फर्म की संपत्ति व दायित्वों में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी तथा फर्म का नया पता-22, आकाश रॉयल टावर, पवन विहार, बरेली (उ0प्र0)–243005 होगा।

तैहमीना खान,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम सुधा रंजनी श्रीवास्तव था। विवाह के बाद मेरा नाम सुधा रंजनी सिन्हा हो गया, विवाह विच्छेद के बाद पुनः मेरा नाम सुधा रंजनी श्रीवास्तव हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे सुधा रंजनी श्रीवास्तव पुत्री मुरलीधर श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सुधा रंजनी श्रीवास्तव,
साझीदार।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का घर का नाम नीता गोविल (NEETA GOVIL) है। मेरी माता जी के आधार कार्ड, पेनकार्ड में सुनीता गोविल (SUNITA GOVIL) अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल वर्ष 2012 अनु0 5254798 तथा इण्टर

मीडिएट वर्ष 2014 अनु0 5756915 तथा मेरे बी0बी0ए0 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रोल नं0 11416430173 वर्ष 2018 के सर्टिफिकेट में घर का नाम नीता गोविल अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी माता जी का ही है। भविष्य में मेरी माताजी को सुनीता गोविल पत्नी राजीव गोविल के नाम से जाना एवं पहचाना जाये। यश गोविल पुत्र श्री राजीव गोविल D-60/61,P-90 कृष्णपुरी कालोनी सिगरा, वाराणसी।

यश गोविल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के घर का नाम राजेश कुमार है जबकि प्रार्थी के शैक्षिक अभिलेखों में आशुतोष सिंह अंकित है। प्रार्थी के एल0आई0सी0 के पालिसी सं0-312584028 एवं 313416413 में घर का नाम राजेश कुमार अंकित हो गयां है। उपरोक्त दोनों नाम प्रार्थी का ही है। भविष्य में प्रार्थी को आशुतोष सिंह पुत्र वासुदेव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

आशुतोष सिंह,
मन्दर बम्हरौली, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस के जे कान्स्ट्रक्शन, 80, राजेन्द्र नगर, लखनऊ-226004 रजि0 नं0-LUC/0003074 का पंजीकरण दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को कराया गया था जिसमें शिव कुमार जायसवाल प्रथम, आशा जायसवाल द्वितीय, लवी जायसवाल तृतीय एवं लोकेश मगेन्द्रा चतुर्थ साझीदार थे, जिसमें चतुर्थ साझीदार लोकेश मगेन्द्रा दिनांक 11 जुलाई, 2022 से फर्म की साझेदारी से हट गये हैं, उक्त तिथि से पूर्व के चतुर्थ साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में शिव कुमार जायसवाल प्रथम, आशा जायसवाल द्वितीय एवं लवी जायसवाल तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं। तथा फर्म का नाम परिवर्तित करके मेसर्स शिव कुमार जायसवाल कर दिया गया है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

शिव कुमार जायसवाल,
साझेदार,
मेसर्स-एस के जे कान्स्ट्रक्शन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शफीक राइस इन्डस्ट्रीज, रिच्छा जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं0—B-9024 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 10-02-1992 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। यह कि उपरोक्त साझेदारी फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 1995 को साझेदारों के रैम्यूनरेशन पूँजी पर ब्याज व लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन किया गया व साझेदारी फर्म के मूल विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस फर्म से दिनांक 01 अप्रैल, 2017 को साझेदार अब्दुल मुईद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गयां है, तथा अब्दुल मुईद का फर्म पर व फर्म का अब्दुल मुईद पर कोई शेष बकाया नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में क्रमशः कुल चार साझेदार श्री वफाउर्रहमान, श्री अताउर्रहमान, श्री नसीम उर रहमान व श्री मो0 आरिफ सिद्दीकी है।

वफाउर्रहमान,
साझेदार,
शफीक राइस इन्डस्ट्रीज रिच्छा,
जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी,
बरेली, उत्तर प्रदेश—243201।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जी0एस0पी0 कान्स्ट्रक्शन धर्मशाला बाजार, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी दिनांक 20-01-2010 से श्री सुधीर दुबे व श्री चन्द्रभूषण मिश्रा एवं श्री शिवानन्द पाण्डेय जी साझेदार थे, उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण सं0 जी-2771 पर पंजीकृत है। यह कि साझेदारी डीड दिनांक 31-03-2022 से श्री चन्द्रभूषण मिश्रा एवं श्री शिवानन्द पाण्डेय जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये हैं तथा दिनांक 31-03-2022 से श्री नीरज दुबे एवं श्रीमती संगीता दुबे उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

सुधीर दुबे/साझेदार,
मेसर्स जी0एस0पी0 कान्स्ट्रक्शन,
धर्मशाला बाजार, जनपद गोरखपुर, (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के इंटरमीडिएट की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट में मेरे माता जी का नाम KHADEEJA KAMAL (खदीजा कमाल) तथा

पिता जी नाम S.M.KAMAL UDDIN (एस एम कमाल उद्दीन) अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मेरे माता जी का सही नाम KHADIJA (खदीजा) तथा पिता जी का सही नाम SHEIKH MOHD KAMAL UDDIN (शेख मोहम्मद कमाल उद्दीन) है जो कि सही है। भविष्य में मेरी माता जी को KHADIJA (खदीजा) तथा पिता जी को SHEIKH MOHD KAMAL UDDIN (शेख मोहम्मद कमाल उद्दीन) के सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

मो0 युसूफ कमाल,
326 जी/394, पूरा मनोहर दास,
अकबरपुर, प्रयागराज।

सूचना

मे0 शर्मा एसोसिएट शक्तिनगर, चन्दौसी जिला सम्भल में क्रम संख्या 1-पीयूष कुमार पुत्र श्री मोरमुकुट शर्मा शक्तिनगर, चन्दौसी, जिला सम्भल, क्रम संख्या 2-अमित शर्मा पुत्र श्री मोरमुकुट शर्मा शक्तिनगर, चन्दौसी, जिला सम्भल, क्रम संख्या 3-हरज्ञान सिंह पुत्र श्री जीवाराम सिंह नि0 ग्राम अभनपुर कुंदरकी, तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद क्रम संख्या 4-कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरज्ञान सिंह नि0 ग्राम अभनपुर कुंदरकी, तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद। उक्त फर्म में कुल 04 साझेदार थे, दिनांक 30-07-2022 को इस फर्म से अमित शर्मा पुत्र श्री मोरमुकुट शर्मा नि0 शक्तिनगर चन्दौसी जिला सम्भल फर्म से अपना हिसाब करके स्वेच्छा से एवं सर्वसम्मति से अलग हो गये हैं। इनका इस फर्म व फर्म के किसी साझेदार पर किसी प्रकार के कोई लेन-देन बकाया नहीं है। 30-07-2022 को पुनः नयी फर्म गठित हो गई है।

साझेदार,
पीयूष कुमार पुत्र श्री मोरमुकुट शर्मा,
नि0 शक्ति नगर चन्दौसी, जिला सम्भल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्वामी प्रसाद एसोसिएट, ग्राम व पोस्ट लखनपुरा, जिला ललितपुर, उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–1-स्वामी प्रसाद 2-हरजीत। दिनांक 15-07-2022 से हरजीत सिंह पृथक हो गये हैं तथा उनके स्थान पर भूपेन्द्र सिंह एवं मानवेन्द्र सिंह यादव शामिल हुये हैं एवं फर्म का पता परिवर्तन होकर 396/1 देवगढ़ रोड, तहसील व जिला ललितपुर, उ0प्र0 हो गया है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

स्वामी प्रसाद,
साझेदार मेसर्स–स्वामी प्रसाद एसोसिएट,
ग्राम व पोस्ट लखनपुरा,
जिला-ललितपुर, उ0प्र0।

सूचना

This is to inform that in firm M/s Space India Builders Add-153, Anandpuram, Shahjahanpur. By consensus of both Partners Mr. Ashok Kumar Singh S/o Shri Kali Kinkar R/o 153, Anand Puram Shahjahanpur & Mrs. Suman Dubey W/o Shri Suresh Chandra Dubey R/o Brij Vihar Colony Shahjahanpur, has made Mr. Suresh Chandra Dubey S/o Shri Shriram Dubey R/o Brij Vihar Colony Shahjahanpur as partner in aforesaid firm on 01-10-2020 & on 31-12-2020 voluntarily Mr. Ashok Kumar Singh S/o Shri Kali Kinkar R/o 153, Anand Puram Shahjahanpur has taken retirement from the firm M/s Space India Builders, now the firm has only remaining two partners and current address of the firm is near railway crossing Tikri, Shahjahanpur.

Suman Dubey,
Partner
Space India Builders Add-
Near Railway Crossing Tikri,
Shahjahanpur B-14810.

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।